रेल दावा न्यायाधिकरण

जयपुर न्यायपीठ

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

JAIPUR BENCH

रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ (रेल दावा अधिकरण, पटना पीठ की सर्किट बैंच के तहत) सुनवाई हाईब्रिड मोड के द्वारा सम्पन्न की गई।

दावा आवेदन संख्या – ओ.ए.।।(यू)/पीएनबीई/25/2020

कोरम : श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक)

दावा पंजिकरण तिथि : **10.01.2020**

निर्णय तिथि : **26.09.2025**

1. बिनोद प्रसाद शॉ, पुत्र स्व0 श्री सीताराम शॉ।

   Binod Prasad Shaw Son of late Sitaram Shaw.

2. सोनिया देवी पत्नी बिनोद प्रसाद शॉ।

   Sonia Devi Wife of Binod Prasad Shaw.

   निवासीयान – मकान न0 25, छलता रोड, पी.ओ.– काकिनारा, पी.एस.– जगतडल, जिला– 24 परगना नौर्थ –743126 (पश्चिम बंगाल)

.....प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थी

उपस्थिति

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के.गुप्ता द्वारा हाईब्रिड मोड।

प्रतिप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा हाईब्रिड मोड।

निर्णय

1. माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, प्रधानपीठ दिल्ली महोदय के आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार उक्त प्रकरण को रेल दावा अधिकरण पटना पीठ के सर्किट

बैंच के तहत हाईब्रिड मोड पर सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ मे स्थानांतरण के तहत प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थीगण ने अपने पुत्र की अनापेक्षित दुर्घटना में चलती ट्रैन से नीचे गिर जाने के कारण कुल 10,00,000/— दस लाख रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 सपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अन्तर्गत, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिये दाखिल किया है। दावा याचिका के परिशिष्ट मे वर्णित प्रार्थीगण का प्रकरण निम्नानुसार है।

3. *"1. That the deceased Vinay Kumar Shaw @ Vinay Shaw (unmarried), son of Binod Prasad Shaw, was traveling as a bonafide passenger having 2nd class traveling ticket No. URD60508530 dated 27.07.2019 from Gaya Jn. to Patna Jn. by Train 63254 Dn. Passenger train and in course of traveling, he fell down from the said running train near Makhdumpur Railway station and he became badly injured and thereafter he was brought to Sadar Hospital Jehanabad and thereafter he was referred to P.M.C.H., Patna for better treatment and in course of treatment he died at P.M.C.H., Patna on 28.07.19.*

2. That on the basis of ferdbeyan of Anuj Kumar Rail P.S. Jehanabad U.D. Case No. 30/19 dated 07.08.2019 was registered and thereafter on completion of inquiry, the final report was submitted by the inquiry officer of the police station concern.

3. That the untoward incident was occurred under the zone of E.C. Railway, Hajipur.

4. That the police station of the deceased is Jagatdal but wrongly mentioned in the ferdbeyan of Anju Kumar as Bhatpara."

(Reproduced as Verbatim)

प्रार्थीगण ने अपने दावा याचिका के के समर्थन मे मीमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव चालान, फर्द बयान अनुज कुमार, मर्ग रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, की प्रमाणित प्रति व सत्यप्रति मूल यात्रा टिकिट, मृतक व प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र की सत्यप्रति व बैंक पासबुक को दस्तावेजो के रूप में प्रस्तुत किया है।

4 प्रतिप्रार्थी ने अपना जवाबदावा मय मूल डीआरएम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतिप्रार्थी के द्वारा लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियो को पैरा सं0 2, 3, 4 व 5, का पुनरूत्पादन नीचे किया जा रहा है।

" *2. That the application has no cause of action to file this case against the respondent. Deceased was not a passenger or a bonafide passenger of the train.*

3. That in reply to the statement made in Para 1 and 7 of the claim application contradicts the investigation DRM report that based on the observation of the documents complied and statement recorded it was found that:

a. That No ticket was recovered from the Possession deceased position which shows that he is not Bonafide passenger of the train. That the petition was filed by the applicant who has filed this case only to take compensation on the false ground that he is a Bonafide passenger.

b. the death review report has been made in presence of witness who were not eyewitness of the incident making it clear that no eyewitness was present during the incident.

c. The Train Driver stated that no person fell or cut during his duty.

d. Senior administrative engineer certified that the railway track was fully fit for operation between 61/10 to 61/12 on 27.07.2010.

4. That under no circumstances the respondent railway can be saddled with any liability and the applicant is not entitled to get any compensation.

5. That respondent further states that the untoward incident is not admitted. The allegation injury is not coming under the provision of section 123(c) of the railway act 1989. It is neither an accident nor an untoward incident for which claiming of

compensation under section 124A of railway act.

(Reproduced as Verbatim)

5. दावा आवेदन एवं जवाब दावा में उल्लेखित अभिवचनों के आधार पर, इस वाद में निम्नलिखित वाद विषय दिनांक 02.07.2021 को बनाए गये थे, उचित न्यायिक निराकरण हेतु वाद विषयो को पुनः निर्मित किया जा रहा है :

1. *Whether deceased was a bonafide passenger of train No. 63254 Down ?*

2. *Whether death of the deceased is coverd under section 123 (c) (2) of the Railway Act 1989.*

3. *Whether applicant/dependents are dependents of the deceased?*

4. *Whether applicant/dependents are entitled to receive compensation, if yes, to what extent?*

6. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी कमांक 01 ने स्वयं का शपथ पत्र (एडबल्यू –1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी से दिनांक 10.02.2023 को प्रतिपरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया की ओर से इस दावे के समर्थन में मीमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव चालान, फर्द बयान, मर्ग रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, मूल यात्रा टिकिट, पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, दस्तावेज संलग्न किये गये है।

7. प्रतिप्रार्थी के द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नही किया गया एवं जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की गई डी.आर.एम. रिपोर्ट प्रदर्श के रूप में अंकित कर साक्ष्य के रूप मे स्वीकार किया जाने का अनुरोध किया है।

8. प्रतिप्रार्थी ने डी.आर.एम. रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में कथित किया है कि मृतक विनय साव उम्र करीब 26 वर्ष पे० विनोद प्रसाद साव, सा०– चलता रोड काकिनारा, था०– भाटपाड़ा, नॉर्थ चौबीस परगना (पश्चिम बंगाल) जो किसी ट्रेन से यात्रा नही कर रहा था और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नही है। मृतक की मृत्यु अपनी गलती पूर्वक किसी ट्रेन के चपेट मे आ जाने से हुई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नही बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की

उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।

9. प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया, वाद विषय की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Decision with Reason

<u>वाद विषय: 01 व 02</u>

सुविधा के दृष्टिकोण से एवं तथ्यों की पुनरावृति न हो जिस कारण से वाद विषय क्रमांक 1 व 2 पर एक साथ विचारण किया जा रहा है।

10. दावा याचिका के अभिवचनो को प्रमाणित किये जाने बावत प्रार्थी क्रमांक 01 बिनोद प्रसाद शॉ ने स्वयं का शपथ पत्र साक्षी एडब्ल्यू–1 के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें उनके कथित किया कि मेरा पुत्र दिनांक 27.07.2019 को गया से पटना तक की यात्रा टिकिट लेकर पटना सवारी गाडी से यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान वह मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती गाडी से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया उसे ईलाज हेतु सदर अस्पताल, जहानाबाद भेजा गया जहा से पी.एम.सी.एच. पटना रेफर कर दिया गया एवं ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर अनुज कुमार जो मृतक ममेरा भाई है, सदर अस्पताल, जहानाबाद पहुँचे वहा से पी.एम.सी.एच. पटना आये, मृत्यु के बाद अपना फर्द बयान दिनांक 28.07.2019 को पी.एम.सी.एच., पटना में दिये जिसके आधार पर रेल थाना जहानाबाद के द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई। आरपीएफ, थाना जहानाबाद ने मुझे बयान देने जहानाबाद बुलाया था मैंने उनको कहा था कि मैं थाना नहीं आ सकता आप घर पर आकर बयान ले सकते है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया है कि दिनांक 27.07.2019 को घटित घटना मे मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी। मेरे पुत्र गया से पटना आ रहा था। वह अविवाहीत था। घटना की जानकारी मुझे मेरे साले के लडके अनुज कुमार से हुई थी। मैं घटनास्थल पर नही गया था। टिकिट मेरे पुत्र के पास था जो जमा कर दिया है। मैंने अपने पुत्र को टिकिट कटवाते, ट्रेन में चढते, ट्रेन से गिरते नहीं देखा था।

11. प्रतिप्रार्थी के द्वारा जवाबदावा एवं डीआरएम रिपोर्ट में कथित किया गया है कि मृतक किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था, नाही उसके पास कोई रेल टिकिट

पाया गया। मृतक की मृत्यु अपनी गलतीपूर्वक किसी ट्रेन की चपेट में आ जाने से हुई है। घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) में परिभाषित अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नही आती है। रेल प्रशासन कोई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी करने हेतु उत्तरदायी नही है। प्रतिप्रार्थी के द्वारा उपरोक्त तथ्यो को प्रमाणित किये जाने बावत किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित नही करवाया गया है।

13. प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उप स्टेशन मास्टर, मखदुमपुर, गया का मेमो दिनांक 27.07.2019 प्रस्तुत किया है जिसमें कथित किया गया है कि अभी 63254 डाउन पैसेन्जर ट्रेन से एक आदमी गिर गया है। जिसका पैर पुरी तरह से जख्मी हो गया है। अतः उचित उपचार के लिये आपके यहां भेज रहे है। घटना की सूचना पर मृतक विनय शॉ के परिजन अस्पताल पहुँचे व ईलाज के कम में मृत्यु होने के पश्चात मृतक के ममेरे भाई अनुज कुमार द्वारा एक लिखित आवेदन रेल थाना, जहानाबाद को दिया गया जिसके आधार पर यूडी प्रकरण कमांक 30/2019 दर्ज किया गया। आवेदन पत्र में लेख है कि मेरे भाई विनय दिनांक 27.07.2019 को रेल यात्रा टिकिट गया से पटना लेकर मेमो ट्रेन से गया से पटना की यात्रा ट्रेन 63254 में कर रहा था। जिसका यात्रा टिकिट नम्बर यूआरडी 60508530 है। यात्रा के दौरान भीड के कारण मेरा भाई मखदुमपुर स्टेशन पर गिर गया। जीआरपी, जहानाबाद के द्वारा अनवेषण के दौरान पीएमसीएच पटना में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई जिसमें पंचो के द्वारा राय दी गई है कि चलती ट्रेन से गिरकर जख्मी होने के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु घोषित किया गया। जीआरपी,जहानाबाद ने अपने अंतिम जांच प्रतिवेदन में मृतक का यात्रा टिकिट कय कर यात्रा करना एवं यात्रा के दौरान गाडी सं0 63254 डाउन से गिरने के कारण जख्मी होने एवं ईलाज के दौरान मृत्यु होना कथित किया है। मृतक की शव परिक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर फटे हुये घाव पाये गये एवं मृत्यु का कारण रक्तस्त्राव एवं अघात दर्शाया गया है। डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न स्टेशन डायरी में उल्लेख है कि गाडी सं0 63254 डाउन पैसेंजर से एक अज्ञात पैसेन्जर गिर गया जिसको मखदुमपुर, राजकीय अस्पताल भेजा।

14. एडब्ल्यू 01 मृतक के पिता बिनोद प्रसाद शॉ ने अपनी शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है कि दिनांक 27.07.2019 को मेरा पुत्र गया से पटना तक का यात्रा टिकिट लेकर सवारी गाडी से यात्रा कर रहा था। प्रतिपरिक्षण में साक्षी ने कथित किया है कि जो टिकिट बेटे के साथ था उसे आवेदन के साथ जमा कर दिया है। इसके

अतिरिक्त यात्रा टिकिट के बिन्दु पर अन्य कोई प्रतिपरिक्षण नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मूल यात्रा टिकिट प्रस्तुत किया गया है जिसका सत्यापन कराये जाने पर मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, ई.सी.रे. गया अपनी रिपोर्ट में टिकिट जारी किया जाना स्वीकार किया गया है। टिकिट का उल्लेख मृतक के चचेरे भाई अनुज कुमार, ने जीआरपी को दिये गये आवेदन पत्र मे भी लेख किया है इसके अतिरिक्त अंतिम जांच प्रतिवेदन मे भी जीआरपी ने कथित किया है कि मृतक यात्रा टिकिट लेकर यात्रा कर रहा था। अतएव मृतक के सदभावी यात्री होने के संबध में कोई संदेह नहीं है।

15. साक्षी बिनोद प्रसाद शॉ ने अपने शपथ पत्रिय साक्ष्य मे कथित किया है कि मृतक यात्रा के दौरान मखदुमपुर रेलवे स्टेशन पर गिरकर जख्मी हो गया, पहले उसे सदर अस्पताल, जहानाबाद भेजा गया जहा से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया एवं ईलाज के कम मे उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी की शपथ पत्रिय साक्ष्य पर संदेह किये जाने का कोई कारण नही है क्योंकि साक्षी का कथन स्टेशन अधीक्षक, मखदुमपुर के मेमो एवं स्टेशन डायरी में लेख किये गये तथ्यो से समर्थित है इसके अतिरिक्त जीआरपी के द्वारा भी अन्वेषण मे मृतक का यात्रा के दौरान गाडी सं0 63254 डाउन से गिरकर जख्मी होना व ईलाज के दौरान पीएमसीएच, पटना मे मृत्यु होना कथित किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar*, (2008) 9 SCC 527** में निर्धारित किया है कि :–

Since the provision for compensation in the Railways Act is a beneficial piece of legislation, in our opinion, it should receive a liberal and wider interpretation and not a narrow and technical one. Hence, in our opinion the latter of the abovementioned two interpretations i.e. the one which advances the object of the statute and serves its purpose should be preferred

It is well settled that if the words used in a beneficial or welfare statute are capable of two constructions, the one which is more in consonance with the object of the Act and for the benefit of the person for whom the Act was made should be preferred. In other words, beneficial or

welfare statutes should be given a liberal and not literal or strict interpretation

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धात के आधार पर रेलवे अधिनियम एक लाभकारी विधान है एवं लाभकारी विधान में प्रयुक्त शब्दो के यदि दो अर्थ निकलते है तो ऐसे अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके उददेश्य हेतु उक्त विधान को निर्मित किया गया है एवं लाभकारी विधान की ऐसी उदार व्याख्या की जानी चाहिये जिससे उसे निर्मित किये जाने का उदेदश्य सफल हो सके।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 3 Supreme Court Cases 572 Union of India Vs Rina Devi के मामले में निर्धारित किया है कि

"..........Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de- boarding a train will be an 'untoward incident' entiting a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथित किया कि मृतक स्वयं के अपराधिक कृत्य एवं स्वयं को पहुँचाई गई क्षति के कारण गिरकर घायल हुआ एवं ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई जिस कारण रेलवे प्रशासन, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 (क) में उल्लेखित अपवाद (ख) एवं (ग)के तहत क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के उत्तरदायी नहीं है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 124 (क) के अपवाद (ख) "स्वयं को पहुचाई गई क्षति" के संबंध में निर्धारित किया है कि :–

"..........the concept of "self-inflicted injury" would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree. Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on "no fault theory". We may in this connection refer to the judgment of this Court in *United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar* [*United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar*, (2019) 12 SCC 398: 2017 SCC OnLine SC 1443: (2017) 13 Scale 652] laying down that plea of negligence of the victim cannot be allowed in claim based on "no fault theory" under Section 163-A of the Motor Vehicles Act, 1988. Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an "untoward incident" entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124-A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह भी निर्धारित किया है कि :–

"..........In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required."

उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टान से स्पष्ट है कि "स्वयं को पहुचाई गई क्षति" व "स्वयं का अपराधिक कृत्य" को प्रमाणित किये जाने बावत मृतक का आशय अथवा अपराधिक दुराशय प्रमाणित किया जाना आवश्यक है परंतु प्रतिप्रार्थी के द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि घटना में मृतक का स्वयं को क्षति पहुचाने का कोई आशय अथवा अपराधिक दुराशय रहा है एवं घटना धारा 124 (ए) के अपवादो में आती है।

उपरोक्त वर्णित मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर मैं यह निर्धारित करता हूं कि मृतक घटना दिनांक 27.07.2019 को गाडी सं0 63254 डाउन में सदभावी यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान मखदुमपुर स्टेशन पर गिरकर घायल हुआ एवं ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अतएव मृतक घटना के समय धारा 2 (29) रेलवे अधिनियम में परिभाषित अनुसार सदभावी यात्री था व कथित घटना धारा 123 (सी) (2) व 124 ए रेलवे अधिनियम के तहत अनापेक्षित घटना की श्रेणी मे आती है, जो उक्त धारा उल्लेखित अपवादो की श्रेणी की नही है। अतएव वाद विषय क्रमांक 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष व प्रतिप्रार्थी रेलवे प्रशासन के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है।

वाद विषय : 03

16. प्रार्थीगण मृतक के माता पिता है उक्त आशय के कथन प्रार्थी ने अपनी शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है एवं दावा याचिका के लम्बन रहने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वयं को मृतक पर आश्रित होना नही बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे मृतक का आधार कार्ड, वोटर आई.डी कार्ड, प्रार्थीगण का आधार कार्ड, एवं भरतपुर निगम के पार्षद के द्वारा जारी परिवारिक सूची प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण मृतक के माता पिता है एवं मृतक पर घटना के

समय आश्रित रहे है। अतएवं वाद विषय कमांक 03 उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

वाद संख्याः 04

17 मृतक घटना दिनांक को सदभावी यात्री के नाते गाड़ी सं0 63254 डाउन से यात्रा के दौरान मखदुमपुर स्टेशन पर अनापेक्षित घटना में ट्रेन से गिरने पर आई चोट से ईलाज के दौरान मृत हो गया जिस कारण से मृतक के उपरोक्त समस्त आश्रित रेलवे प्रशासन से मुआवजा राशि रूपये 8,00,000/– रेलवे दुर्घटना व अनापेक्षित घटना नियम 1990 के नियम 3(3) की अनुसूची के पार्ट एक में उल्लेखित अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी है। मृतक के उपरोक्त आश्रितो क्षतिपूर्ति राशि रूपये 8,00,000/– पर घटना दिनांक 27.07.2019 से अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वाद विषय कमांक 04 निर्णित किया जाता है।

आदेश

ORDER

18 यह दावा प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थीगण को रू 8,00,000/– (रू आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को घटना दिनांक 27.07.2019 से मुआवजा राशि के अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है।

प्रार्थीगण का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एन्यूटी / सावधि राशि
बिनोद प्रसाद शॉ, पुत्र स्व0 श्री सीताराम शॉ। Binod Prasad Shaw Son of late Sitaram Shaw.	रू 4,00,000/– (चार लाख रूपये मात्र)	रू 40,000/– (चालीस हजार रूपये मात्र) अनुपातिक ब्याज	रू 3,60,000/– (तीन लाख साठ हजार रूपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जायेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थी को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।

सोनिया देवी पत्नी विनोद प्रसाद शॉ। Sonia Devi Wife of Binod Prasad Shaw	रु 4,00,000/- (चार लाख रूपये मात्र)	रु 40,000/- (चालीस हजार रूपये मात्र) आनुपातिक ब्याज	रु 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रूपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जावेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।

प्रतिप्रार्थी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि यह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण के स्युटर मनी (Suitor Money) एकाउंट में इस आदेश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिप्रार्थी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर. नंबर, ब्याज की गणना सहित आवेदक की मुआवजा राशि इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवदेक को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

19. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :-

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untowards Incidents (Compensation) Rules, 1990

1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the award. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk fund in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been

ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No. 31521-31522 OF 2017. A Statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant...."

20. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालना में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुये रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है–

"5. Mode of Payment-

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimants, having due regard to the illiteracu or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mads as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exisgencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

21. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण चरण क्रमांक 18 में उल्लेखित अनुसार किया जावे।

22. प्रार्थीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

23. यदि प्रार्थीगण टीडीएस कटौती की छूट का हकदार है तो वह फार्म–15जी या फार्म15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करें एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जायेगी।

24. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जावे–

1. प्रार्थीगण के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते अनुमति नहीं देगा।

2. इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थीगण की सावधि जमा कर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।

3. बैंक प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।

4. बैंक प्रार्थीगण की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि प्रार्थीगण को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही किये गये है और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नही किये जायेगा। प्रार्थीगण उक्त प्रविष्ठि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

25 उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 26.09.2025 को अधिघोषित किया गया ।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण/जयपुर पीठ
पटना पीठ की सर्किट बैंच के तहत